अत्यावश्यक

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग–3)**

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2014 जयपुर, दिनांक : 14/05/15.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम नियोजन के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा नामित किये गये जिला प्रभारियों तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी की जा रही मस्टररोल समय पर फील्ड में नही** पहूँचाई जा रही है। इसके कारण **जारी मस्टररोल के अनुरूप श्रम नियोजन नही** हो रहा है।

अतः इस संबन्ध राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप **मस्टररोल प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम एक दिवस पूर्व** आवश्यक रूप से मस्टररोल **संबन्धित कियान्वयन एजेन्सी** को प्रेषित किया जाना एवं **मस्टररोल प्रारम्भ होने की तिथि को कार्य पर नियोजन सुनिश्चित** किया जावे।

**भवदीय**

14/5/15

**(राजीव सिंह ठाकुर)**
**शासन सचिव, ग्रामीण विकास**

**प्रतिलिपिः**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सह कार्यक्रम अधिकारी समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

14/5/15

**परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस**